न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

तरिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व प्रार्थना संख्या : 62/2025 सुशान्त बनाम महेन्द्र वगैरह अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.06.26	प्रार्थी जरिये अधिवक्ता ईश्वर सिंह द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया जिसका संक्षिप्त सारांश इस प्रकार से है कि खेत खसरा नम्बर 730 रकबा 1.5945 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 732 रकबा 1.6026 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 734 रकबा 2.6952 हैक्टेयर, भूमि मौजा कांकाणी, तहसील लूणी में स्थित है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खातेदारी रेवेन्यु रेकर्ड जमाबंदी में नाम दर्ज है। उक्त भूमि पैतृक भूमि है, इस कारण प्रार्थी का भी उक्त भूमि में हक व हिस्सा बनता है। अप्रार्थी संख्या 1 का नाम राजस्व रेकर्ड में होने का नाजायज फायदा उठाकर अपने हक व हिस्से से अधिक भूमि को बेचान करने की धमकी प्रार्थी को दे रहा है तथा अप्रार्थी संख्या 1, अप्रार्थी संख्या 2 से मिलकर उक्त भूमि को बेचान करने पर भी उतारू है इस कारण सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है। प्रार्थी ने उक्त भूमि को उपजाऊ बनाने में काफी धन व्यय किया है अगर मौके पर प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 बेदखल कर देता है तो प्रार्थी को अपार क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति करना असंभव है इस कारण अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में सुदृढ़ बनता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर खेत खसरा नम्बर 730, 732 व 734 मौजा कांकाणी की भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 अपने हक व हिस्से से अधिक भूमि का बेचान नहीं करें, प्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करें इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में जारी किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र कार्यालय समय में दर्ज रजिस्टर किया गया और प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर दिनांक 27.06.2025 को उक्त भूमियों के राजस्व रैकर्ड की यथास्थिति आगामी पेशी तारीख तक कायम रखे जाने हेतु अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किया दिया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की ओर से अधिवक्ता सुभाष गोदारा ने मूलवाद में वकालतनामा तथा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शामिल मिसल है। अप्रार्थी संख्या 6 से 15 पत्रावली में प्रफार्मा पक्षकार है जिनके नोटिस रजिस्टर्ड ए.डी से भेजे जाकर प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा ट्रेक रिपोर्ट पेश की गई जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी संख्या 6 से 15 द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं किया है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की ने अपने जवाब में कथन किया वादग्रस्त खसरा संख्या 730, 732, 734 ग्राम कांकाणी में स्थित भूमि का प्रार्थी के बंट व हिस्से को अप्रार्थी संख्या 1 कभी भी बेचान नहीं करना चाहता है प्रार्थी को जो हिस्सा बनता है वह अप्रार्थी संख्या 1, प्रार्थी को देने के लिए तैयार है प्रार्थी के पक्ष में किसी प्रकार का प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के द्वारा अपने हिस्से की भूमि को बेचान करते है तो सुविधा का संतुलन अप्रार्थी संख्या 01 से 05 के पक्ष में है उक्त वादग्रस्त भूमि पर सारी मेहनत प्रार्थी सख्या 1 से 5 की लगी हुई है प्रार्थी के द्वारा कभी भी उक्त भूमि में किसी प्रकार का श्रमिक कार्य नही किया है तथा न ही किसी प्रकार का धन व्यय किया है प्रार्थी के द्वारा मनगढत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है इस कारण	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

अपूर्णिय क्षति अप्रार्थ संख्या 1 से 5 को रही है जिसकी पूर्ति किया जाना अंसभव है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों सिद्धांत प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णिय क्षति अप्रार्थी संख्या 01 से 05 के पक्ष में है इस कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें

अप्रार्थी संख्या 1 महेन्द्र व अन्य द्वारा विचाराधीन प्रकरण में पारित निर्णय अस्थायी स्थगन आदेश 27.06.2026 के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष एक अपील अनवान महेन्द्र व अन्य बनाम सुशांत इत्यादि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दायर की गई। **माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के निर्णय 05.03.2026 के द्वारा विचाराधीन राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 62/2025 बअनवान सुशान्त बनाम महेन्द्र वगैरह में आदेश दिनांक 27.06.2026 को अपास्त किये जाने हेतु पेश अपील को खारिज किया जाकर उभयपक्षों सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए हस्तगत प्रकरण को दो माह की अवधि में विधिसम्मत निस्तारण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।**

बहस उभयपक्षों की सुनी गयी बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र एव मूल वाद में वर्णित अभिवचनों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है जबकि इसके विपरित दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थीगण कथन किया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के अभिवचनों के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों सिद्धांत प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति अप्रार्थी संख्या 01 से 05 के पक्ष में होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

हमने प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत तीनों आवश्यक बिन्दुओं पर विवेचन किया जाना है। प्रार्थना पत्र के संलग्न जमाबंदी से स्पष्ट है कि प्रार्थी वर्णित विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदारं नहीं है जबकि अप्रार्थीगण उक्त आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार है। एक रिकार्डेड खातेदार के हक अधिकार के तहत प्रथमदृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में निर्णीत किया जाना न्यायोचित है। चूँकि प्रार्थी जमाबंदी अनुसार रिकार्डेड खातेदार दर्ज नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का यह कथन कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को बेदखल किये जाने की संभावना है, उचित प्रतीत नहीं होता है। यदि प्रार्थी के पक्ष में अंतिम रूप से अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो एक रिकार्डेड खातेदार के अधिकारों को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है। वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार है। उपरोक्त परिस्थितियो में एक रेकर्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना कानूनन उचित नही है। उपरोक्त विवेचन एव विश्लेषण के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफत्र हो।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी